पत्र संख्या-सी0सी0टी0/निरी0अनु0/(2018-19)-टैक्स आडिट// 1819034/620 //वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(निरीक्षण-अनुभाग)
लखनऊ :: दिनाँक :: 12, सितम्बर, 2018

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर(टैक्स आडिट)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

मुख्यालय के परिपत्र सं0-722/ 1718078, दिनांक 02-01-2018, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वर्ष-2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के ऐसे प्रतिकूल पाये गये समस्त मामलों के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारुप में दिनांक 05-01-2018 तक वर्षवार सूचना मुख्यालय के निरीक्षण अनुभाग की मेल आई0डी0-jcinspectionhqlu.up@gmail.com उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिये गये हैं तथा तत्कालीन कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश द्वारा मुख्यालय के पत्र सं0-सी0सी0टी0-टैक्स आडिट-विवरण/(2015-16)/ 660/वाणिज्य कर, दिनांक 19-11-2015 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए टैक्स आडिट से सम्बन्धित विवरण का प्रारुप MPR-11 में प्रत्येक अनुवर्ती माह की 05 तारीख तक मुख्यालय उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे।

अत: उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त परिपत्र सं0-722/ 1718078, दिनांक 02-01-2018 के द्वारा वांछित वर्ष-2012-13, 2013-14, एवं 2014-15 के ऐसे प्रतिकूल पाये गये समस्त मामलों में उक्त परिपत्र में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित प्रारुप में सूचना दिनांक 31-12-2018 तक तथा वर्ष- 2015-16 की सूचना दिनांक 31-03-2019 तक मुख्यालय के निरीक्षण अनुभाग की मेल आई0डी0-jcinspectionhqlu.up@gmail.com पर प्रेषित करने के साथ ही पत्र सं0-660, दिनांक 19-11-2015 के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार ही टैक्स ऑडिट हेतु कर निर्धारण वर्ष 2016-17 से सम्बन्धित विवरण प्रारुप MPR-11 में प्रत्येक अनुवर्ती माह की 05 तारीख तक मुख्यालय उपलब्ध कराने के साथ ही विभागीय पोर्टल के मन्थली मीटिंग माड्यूल के प्रारुप MPR-11 में भी फीड कराना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

यह पत्र माननीय कमिश्नर, महोदया से अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

12/9/2018
(अजीत कुमार शुक्ला)
एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।